(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–41/1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–03–1991 पारित द्वारा आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्र0 क्र0–38/निग0/अ–19/1986–87

.....

1– मो0 हद्दीश आत्मज मो0 हकीक
2– मो0 हमीद आत्मज मो0 हकीक
निवासीगण–ग्राम बरेली तहसील सोहागपुर
जिला–शहडोल(म0प्र0)

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य

–––––अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/01/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–03–1991 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के नाम उनके आधिपत्य की सरकारी आराजी का व्यवस्थापन किया गया था, जिसे कलेक्टर, शहडोल ने दिनांक 16.02.87 को निरस्त कर दिया था। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष पेश की गई जो प्रकरण क्र0 38/निग0/अ–19/86–87 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 27.03.1991 द्वारा निरस्त की गई। आयुक्त के

इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया कि कलेक्टर, शहडोल द्वारा आवेदकगण को कभी भी कोई भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही कभी आवेदकगण ने नोटिस लेने से इन्कार किया है। ऐसे में कलेक्टर, शहडोल के द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण ग्रामवासी है, उन्हें प्रकरण के निर्णय दिनांक 27.03.1991 की सूचना नहीं मिल पाई थी और न ही उनके अभिभाषक द्वारा उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना दिया था। दिनांक 12.10.93 को आवेदक मो0 हमीद प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने बरेली से रीवा आया तो उक्त आदेश दिनांक 27.03.91 की जानकारी हुई। आवेदक द्वारा उसी दिनांक नकल प्राप्त करने के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 09.12.93 को नकल प्राप्त की। इसके पश्चात 11 व 12 दिसम्बर को अदालत बंद रहने से दिनांक 13.12.93 को निगरानी प्रस्तुत की गई। आवेदकगण के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि न केवल काबिल काश्त थी, बल्कि आवेदकगण के वास्तविक काश्त में भी इसलिये धारा 237(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अतंर्गत नवइयत परिवर्तन की जरूरत ही नहीं थी। धारा 237(2) के तहत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि सिद्धांत के अनुसार कृषि के लिये परिवर्तन भी नहीं हो सकता। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक शासन के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकगण के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन किये जाने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर, शहडोल द्वारा प्रकरण को स्वयमेव निगरानी में लेकर सुनवाई के अधिकार नहीं थे। कलेक्टर द्वारा चूँकि यह कार्यवाही म0प्र0 भू0–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत की गई है, जिसके अनुसार वे अपने किसी भी

राजस्व न्यायालय का अभिलेख मंगा सकते है और उसकी जांच कर सकते है। निगरानी मेमों की कण्डिका 2 में उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुआ, और न ही आवेदक ने नोटिस लेने से कभी इन्कार ही किया । अतएव अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर शहडोल द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। जबकि कारण बताओ नोटिस मो0 नसीरूद्दीन जो अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक क्र0 1 थे, को विधिवत तामील कराया है, और दिनांक 14.12.83 को उसके हस्ताक्षर नोटिस के पीछे बने हुये है। आवेदकगण के अधिवक्ता को अनेकों अवसर कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिये गये है तथा तर्क सुनने के बाद ही कलेक्टर, शहडोल ने विधिनुकूल आदेश पारित किया है।

6/ कब्जे के संबंध में तहसील न्यायालय के प्रकरण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । ऐसी दशा में आवेदक का कब्जे का कोई आधार ही नहीं है। वर्ष 65–66 से कब्जे की बात साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार बिना कब्जे के संबंध में जांच किये तहसीलदार, सोहागपुर द्वारा जो अस्थायी पट्टा अपने आदेश दिनांक 31.03.79 द्वारा ग्राम बरेली, तहसील सोहागपुर स्थित भूमि खसरा नं0 407 जुज रकबा 4.00 एकड़, खसरा नं0 665 जुज रकबा 5.00 एकड़ तथा खसरा नं0 7.03 जुज रकबा 4.00 एकड़ के संबंध में आवेदकों के नाम स्वीकृत किया गया था, को कलेक्टर, शहडोल ने अपने आदेश दिनांक 16.02.87 द्वारा निरस्त करके कोई त्रुटि नहीं की गई है । इसकी पुष्टि आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपने विस्तृत आदेश में की है।

7/ उपरोक्त व्याख्या के आलोक में प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–03–1991 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,